परिपत्र सं. 18/18/2017-जीएसटी

फा.सं. 354/320/2017-टीआरयू-पट.1

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

टैक्स रिसर्च यूनिट

******

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली 16 नवम्बर , 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त /आयुक्त, केंद्रीय कर (सभी)/प्रधान महानिदेशक/ महानिदेशक (सभी)

महोदया/महोदय,

विषयः कपड़ों के निर्यातकों से संबंधित इनपुट्स पर भुगतान किए गए जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका उपयोग न किया गया हो, के रिफंड से संबंधित स्पष्टीकरण- की बावत

जीएसटी के अंतर्गत कपड़ों [जोकि अध्याय 50 से 55 और 60 तथा शीर्ष 5608, 5801,5806 के अंतर्गत आते हैं] के अंतर्गत इनपुट पर भुगतान किए गए जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिनका उपयोग न किया गया हो, का विनिर्माता निर्यातकों को रिफंड किए जाने के बारे में लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में कुछ संदेह व्यक्त किए गए हैं।

2.1 इस मामले पर विचार किया गया है। सीजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 54 की उप-धारा (3) के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है, किः

उप-धारा (10) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए कोई भी पंजीकृत व्यक्ति अनप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का किसी कर की अवधि के अंत में रिफंड के लिए दावा कर सकता हैः

बशर्ते कि किसी भी अनप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का निम्न से भिन्न मामलों में रिफंड नहीं किया जाएगा-

i. कर के भुगतान के बिना जीरो रेटेड सप्लाई की गई हो;

ii. जहां पर क्रेडिट इस कारण से संचित हुआ है की इनपुट पर कर की दर, आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक है (शून्य दर वाले या पूरी तरह से छूट प्राप्त आपूर्तियों से भिन्न), जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं या दोनों को छोड़कर।

2.2 जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर सीजीएसटी एक्ट-2017 की धारा 54 की उप-धारा (3) के परंतुक के उप-वाक्य (ii) के अंतर्गत अधिसूचना 5/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 [समय-समय पर यथा संशोधित] को जारी करके कुछ वस्तुओं से संबंधित इनपुट्स पर भुगतान किए गए सीजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसमें इनपुट्स पर भुगतान किए गए जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट भी शामिल है, जिनका उपयोग न किया गया हो के रिफंड के बारे में प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।

2.3 चूंकि उपर्युक्त अधिसूचना को उक्त परंतुक के उप-वाक्य (ii) के अंतर्गत जारी किया गया है अतः इसका उक्त परंतुक के (i) की प्रयोजता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इनपुट पर भुगतान किए गए जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका की उपयोग न किया गया हो के रिफंड पर लगाए गए प्रतिबंध जीरो रेटेड आपूर्तियों पर लागू नहीं होंगे अर्थात

(क) वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का निर्यात या

(ख) वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की विशेष आर्थिक जोन के डेवलेपर या विशेष आर्थिक जोन की इकाईयों को आपूर्ति की गयी हो।

2.4 तदनुसार, कपड़ों के निर्यात के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 के उप-धारा (10) के प्रावधानों के अधीन, कपड़ों के उत्पादक अपने द्वारा निर्मित और निर्यातित कपड़ों से संबंधित इनपुट पर भुगतान किए गए जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट (कैपिटल गुड्स पर जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा), जिसका कि उपयोग न किया गया हो, के रिफंड के पात्र होंगे।

3. इस परिपत्र के क्रियान्वयन में यदि कोई परेशानी आ रही हो तो उसे बोर्ड की जानकारी में लाया जाए।

भवदीय

राहिल गुप्ता 16/11/17

राहिल गुप्ता

तकनीकी अधिकारी (टीआरयू)

Circular No. 18/18 /2017-GST

F. No. 354/320/2017-TRU-Pt.1
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Tax research Unit
****

North Block, New Delhi
16th November 2017

To,

The Principal Chief Commissioners/Chief Commissioners/ Principal Commissioners/ Commissioner of Central Tax (All) /
The Principal Director Generals/ Director Generals (All)

Madam/Sir,

Subject: Clarification on refund of unutilized input tax credit of GST paid on inputs in respect of exporters of fabrics - regarding.

Doubts have been raised regarding the restrictions of refund of unutilized input tax credit of GST paid on inputs to manufacturer exporters of fabrics [falling under chapters 50 to 55 and 60 and headings 5608, 5801, 5806] under GST.

2.1 The matter has been examined. In this context, subsection 3 of section 54 of the CGST Act, 2017 provides as under:

"(3) Subject to the provisions of sub-section (10), a registered person may claim refund of any unutilised input tax credit at the end of any tax period:
Provided that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed in cases other than—

(i) zero rated supplies made without payment of tax;

(ii) where the credit has accumulated on account of rate of tax on inputs being higher than the rate of tax on output supplies (other than nil rated or fully exempt supplies), except supplies of goods or services or both as may be notified by the Government on the recommendations of the Council.

2.2 Based on the recommendations of the GST Council, Notification No. 5/2017-Central Tax(Rate) dated 28.06.2017 [as amended from time to time] has been issued under clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the CGST Act, 2017 restricting refund of unutilised input tax credit of GST paid on inputs in respect of certain specified goods, including input tax credit of GST paid on inputs.

2.3 However, the aforesaid notification having been issued under clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the CGST Act, 2017, restriction on refund of unutilised input tax credit of GST paid on inputs will not be applicable to zero rated

supplies, that is (a) exports of goods or services or both; or (b) supply of goods or services or both to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit.

2.4 Accordingly, as regards export of fabrics it is clarified that, subject to the provisions of sub-section (10) of the section 54 of the CGST Act, 2017, a manufacturer of such fabrics will be eligible for refund of unutilized input tax credit of GST paid on inputs [other than the input tax credit of GST paid on capital goods] in respect of fabrics manufactured and exported by him.

3. Difficulty, if any, in the implementation of this circular should be brought to the notice of the Board.

Yours faithfully

16/11/17

Rahil Gupta

Technical Officer (TRU)